प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–06.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **69 वाहनों से मु0– 14700 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 16 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

09 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 80 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. पंचम पुत्र अमरनाथ निवासी इमिलिया नई बस्ती थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–89/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दीपक कुमार पुत्र स्व0 मूरत निवासी वासेपुरवा लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–79/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. विजय चौहान पुत्र रामऔतार निवासी उज्जैनी कला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–146/19, 02. राजबहादुर पुत्र रामदुलारे निवासी डेबरी कला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–147/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

नाजायज चाकू के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा शतिर आरोपी अभियुक्त– मो0 फिरोज पुत्र अब्दुल गफ्फूर निवासी राजापुरवा कहला तेंदुवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

थानाध्यक्ष खरगूपुर ने बताया कि उक्त अभियुक्त को परसदा बैरियर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल– 37 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 80 ली0 अवैध कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 06.04.2019

15,000/– का इनामिया अपहरण करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. विजय यादव पुत्र मनीराम यादव निवासी ग्राम चकमखा मौजा हरिवंशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0–78/19 धारा 363.366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा आर.पी. सिंह द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना नवाबगंज को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को रेलवे स्टेशन कटरा के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभि0 मु0अ0सं0 78/19 धारा 363.366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 15,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तारी टीमः–

1. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह।
02. हेड का0 राजकिशोर यादव।

थाना नवाबगंज द्वारा अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अशोक कुमार कोरी पुत्र रामप्रसाद कोरी नि0 मो0 मुठठीगंज कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

बरामदगी–

01. 01 कि0 100 ग्रा0 नाजायज गांजा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–104/19 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त अपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–155/02 धारा 302.504 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 06.04.2019 को उ0नि0 विपिन कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ छेदी शाह मस्जिद बैरियर चेकिंग में मौजूद थे, दौराने चेकिंग उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक झोले में 1 कि0 100 ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विपिन कुमार सिंह।
02. का0 अनिल कुमार यादव।
03. का0 देवेन्द्र यादव।

थाना खरगूपुर द्वारा अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मो0 दक्षराज पथरकट पुत्र श्रीराम निवासी ठकुराईन पुरवा मौजा देववहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा

बरामदगी–

01. 01 कि0 350 ग्रा0 नाजायज गांजा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–80/19 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 06.04.2019 को उ0नि0 धर्मराज मय हमराह फोर्स के साथ बिकवा घाट बैरियर चेकिंग में मौजूद थे, दौराने चेकिंग उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 कि0 3500 ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाला गौ तस्कर अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार, 01 अदद ट्रक बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अशोक कुमार पुत्र रामहित हरिजन निवासी कुशलगॉव थाना दिदारगंज जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–141/19 धारा 307.427 भादवि , 3/8 गौवद्य निवारण अधिनियम व 184.207 एम0वी0एक्ट0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–142/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।
02. 01 अदद बिना नम्बर का ट्रक।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.04.2019 को एस0एच0ओ0 मनकापुर आलोक राव मय हमराह फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि टिकरी जंगल में फायरिंग की आवाज सुनाई दी पुलिस द्वारा मौके पर पहुॅच कर देखा गया तो 01 अदद ट्रक व कुछ गौवंश दिखायी दिये पुलिस को पास आता देखकर ट्रक चालक ट्रक लेकर नवाबगंज की तरफ ट्रक को लेकर फरार हो गया। एस0एच0ओ मनकापुर द्वारा दूरभाष के जरिये एस0एच0ओ0 नवाबगंज व एस0एच0ओ0 वजीरगंज को उक्त संदिग्ध ट्रक को रोकने के लिए सूचना दी गयी। जिसपर दोनो थानो द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्र में बैरियर लगाकर ट्रक को रोकने का प्रयास किया परन्तु ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को न रोकते हुए पुलिस के बैरियारों को तोडते हुए भागने का प्रयास किया ट्रक के न रूकने की सूचना पर उ0नि0 अंकुर वर्मा ने मय हमराहियों के पण्डित पुरवा अचलपुर में सड़क की घेरा बन्दी की पुलिस की घेरा बन्दी में फंस जाने पर ट्रक चालक ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया और ट्रक चढाकर भी पुलिस को जान से मारने का प्रयास किया और ट्रक को पुनः मोड कर भागने का प्रयास किया परन्तु पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक चालक को मय ट्रक के गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद कर अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत घाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक मनकापुर आलोक राव।
02. एस0एच0ओ0 वजीरगंज प्रमोद कुमार सिंह।
03. उ0नि0 अंकुर वर्मा थाना वजीरगंज।
04. का0 दया यादव।
05. का0 अजय कुमार शुक्ला।
06. का0 श्रवण कुमार।
07. का0 राहुल।

अवैध कट्टे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. परवेश सिंह पुत्र यशवन्त सिंह निवासी मुकुन्दपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–82/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.04.2019 को उ0नि0 रणजीत यादव मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति उमरी दानपुरवा मार्ग इस्माइलपुर मोड़ तिराहा पर अवैध असलहा लिए खड़ा है और कही जानें की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 रणजीत यादव मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पहुॅचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना उमरीबेगमगंज में अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।